1	2
57. Chhtndwara	1563332
58. Seoni	999762
59. Baiaghat	1362731
60. Rajnandgaon	1439524
61. Sargiija	2082630
Maharasthra	
62. Aurangabad	2209476
63. Jaina	1362546
64. Parbhani	2114770
65. Beed	1818499
66. Nanded	2326100
67. Osmanabad	1271870
68. Latur	1673070
69. Buldana	1881446
70. Gadchiroli	785626
71. Yavatmal	2077144
Orissa	
72. Phulbani	858553
73. Kalahandi	1591984
74. Koraput	2999903
75. Keonjhar	1337026
Rajasthan	
76. Dungarpur	874329
77. Banswara	1154964
Sikkim	
78. West Sikkim	97713
79. South Sikkim	99500
Uttar Pradesh	
80. Sitapur	2850059
81. Hardoi	2741486
82. Unnao	2198174
83. Rae Bareli	2320709
84. Jalaun	1217021
85. Lalitpur	745632
86. Hamirpur	1465707
87. Banda	1874541
88. Fatehpur	1893400
89. Pratapgarh	2211253
90. Baliiraich	2757862
91. BaraBanki	2425309
92. Siddharthnagar	1706634
93. Maharajganj	1678131
94. Jhansi	1426984
95. Mail	1418872
96. Kanpur Dehat	2136534
West Bengal	
97. Koixh Bihar	2158169
98. Jalpaiguri	2789827
99. Maldah	2633942
100. Darjeeling	1335618

खनन उद्योग के संबंध में निवेश का प्रतिशत

4391. **श्री अखिलेश दास**: क्या इस्मात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भारतीय खनन उद्योग के संबंध में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश हिस्सेदारी की स्वीकृति दी गई है;

(ख) इससे भारतीय खनन उद्योग किस सीमा तक सुदृढ़ होगा;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ इस संबंध में समझौता किया गया; और

(घ) उनके द्वारा किन-किन राज्यों का चयन किया गया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) भारतीय खनन क्षेत्र सीधे विदेशी निवेश के लिए 1993 में खोल दिया गया था। खनन परियोजनाओं में 50 प्रतिशत तक तथा खनन संबंधी सेवाओं में 74 प्रतिशत तक विदेशी खनन भागीदारी को स्वतः मंजूरी दी जाती है। सोना, चांदी, हीरा, बहूमूल्य तथा अर्धबहूमूल्य पत्थरों में विदेशी निवेश स्वतः माध्यम (आटोमेटिक रूट) से बाहर है। 100 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी तक सीधे विदेशी निवेश सभी खनन/खनन संबंधी कार्यों के लिए अनुमत्य है तथा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (अफआई पी बी) द्वारा मामला-दर-मामला के आधार पर मंजूरी दी जाती है। सोना, चांदी, हीरे, बहुमूल्य तथा अर्धबहुमूल्य पत्थरों विदेशी इक्विटी भागीदारी संबंधी आवेदनों पर भी एफ आई पी बी द्वारा विचार किया जाता है। एफआई पी बी स्वतः मंजूरी के अन्तर्गत न आने वाली खनन गतिविधियों में विदेशी निवेश संबंधी आवेदनों पर परियोजना का आकार, परियोजना लागत के लिए बाह्य संसाधनों की प्रतिबद्धता, खनन क्षेत्र में कम्पनी का ट्रैक रिकार्ड, परियोजना में अपनायी जाने वाली प्रौद्योगिकी का स्तर, कंपनी की वित्तीय शक्ति तथा भारतीय भागीदार की इक्विटी होल्डिंग का स्तर आदि मानदंडों पर आधारित योग्यता के आधार पर विचार करता है। विदेशी निवेश से घरेलू निवेश बढ़ने, भुगतान संतुलन सुधरने तथा खनन क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी को शामिल किए जाने की आशा है।

(ग) भारत सरकार ने भारतीय खनन क्षेत्र में निवेश के बारे में किसी देश के साथ कोई करार सम्पनन नहीं किया है। तथापि एफआई पी बी ने खनन क्षेत्र में 18 देशों से कुल लगभग 3000 करोड़ रु. के सीधे विदेसी निवेश के 48 प्रस्तावों की मंजूरी दी है।

(घ) भारत सरकार ने सीधे विदेशी निवेश के लिए किसी विशेष राज्य का चयन नहीं किया है। निवेशक, संबंधित राज्य सरकार से पूर्वेक्षण/खनन लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी भी राज्य में निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। विदेशी निवेशकों द्वारा चुने गए मुख्य राज्य तमिलनाडु मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश हैं।

बैलाडिया खानों को बन्द किया जाना

4392. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बैलाडिया लौह अयस्क खानों में से किन-किन खानों को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेसानुसार वर्ष 1997 में बन्द करने के आदेश दिये गये हैं;

(ख) इन खानों की पट्टा अवधि कय समाप्त हो रही है और उनमें कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को इन लौह अयस्क खानों से रॉयल्टी और अन्य करों के रूप में भुगतान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैलाडिला क्षेत्र में प्रतिपूरक वनरोपरण पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसकी सफलता का ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रमेश बैस): (क) वन क्षेत्र में गैर-वानिकी कार्यकलापों पर रोक लगाने सम्बन्धी माननीय उच्चतम न्यायालय के 1997 के आदेशों के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश सरकार ने बेलाडिला की निम्नलिखित खानों को बन्द करने के आदेश दिए थेः-

(1) बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप संख्या-14

(2) बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप संख्या-14 (गौर-खनिज क्षेत्र) अर्थात् -11/सी का एक भाग।

(3) बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप संख्या-5 ये खानें 27.2.1997 से 19.3.1997 तक बन्द रहीं।

(ख) इन खानों की पट्टा अवधि समाप्त होने की तरीखें निम्न प्रकार हैंः-

	पट्टे का नाम	समाप्ति की तारीख	30.4.98 की स्थिति के अनुसार सूची में नियमित श्रमिक
1	निक्षेप संख्या-14	11.9.95	1610
2	निक्षेप संख्या-14 (गैर खनिज क्षेत्र) अर्थात् बेलाडिया निक्षेप-11/सी का एक भाग	06.12.95	
3	निक्षेप संख्या-5	11.9.95	1614

(ग) गत तीन वर्षों के लिए इन खानों से मध्य प्रदेश सरकार को दी गई रॉबल्टी और बिक्री-कर की राशि नीचे दी गई हैः-

(लाख रुपए)

वर्ष	रॉबल्टी	मध्य प्रदेश बिक्री-कर
1995-96	1,621	24
1996-97	1,826	38
1997-98	1,542	63

(ङ) बैलाडिला क्षेत्र में एन,एम,डी,सी, द्वारा किए गए प्रतिपूरक वनरोपण का ब्यौरा निम्न प्रकार हैंः-

(1) प्रापम्भ से लेकर 31.3.1998 तक रोपित वृक्षों की संख्या 14.46 लाख

(2) किया गया व्यय 2.90 करोड़ रु

(3) उत्तर जीविता दर 90 प्रतिशत

Schools under Management of Bokaro Steel Limited

4393. SHRI BRATIN SENGUPTA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) wheth^ it is a fact that Hindi medium schools following Bihar syllabus giving free education according to NJCS Agreement are beiAg changed into English medium following CBSE course chai'ging fees by the management of Bokaro Steel Limited;

(b) if so, the details thereof andthe names of $udi schools convetted and justification of violation of NJCS Agreement; and

(c) whetha chaisjag *fiom* Hindi to English is accordtog to Ibe pdicy of SAIL?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY *OP* STEEL AND MINES (SHRI